रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1975/कार्तिक 3, 1897
No. 439] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1975/KARTIKA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Banking)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October 1975

S.O. 617(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 (56 of 1968), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1975, as the day on which section 7 of the said Act shall come into force in the State of Tripura.

[No. F. 6/9/75-B. O.-I]
L. D. KATARIA, Director.

वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1975

का० आ० 617(अ).—जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 56) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नवम्बर, 1975 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 7 त्रिपुरा राज्य में लागू होगी।

[सं० एफ० 6/9/75/बी० ओ०-I]
एल० डी० कटारिया, निदेशक।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975